उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उ0प्र0 सरकार का उपक्रम)

U.P. POWER CORPORATION LIMITED

(U.P. Government Undertaking)

शक्ति भवन, 14–अशोक मार्ग, लखनऊ Shakti Bhawan, 14-Ashok Marg, Lucknow

पत्र संख्या–1584 / उ0म0प्र0–पंचम (राजपत्रित) दिनांक 27 मार्च, 2006

समस्त आहरण एवं वितरण अधिकारी
उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड

विषय : -दिनांक 01-04-2004 से अनुमन्य 50 प्रतिशत मंहगाई भत्ते की धनराशि को मंहगाई वेतन के रुप में परिवर्तित किये जाने के सम्बन्ध में ।

कृपया विषयांकित के सम्बन्ध में पावर कारपोरेशन लिमिटेड के कार्यालय ज्ञाप संख्या–71 वे0प्र0(30) /पाकालि/2006–8–वे0प्र0/2006 दिनांक 27–2–2006 का सन्दर्भ ग्रहण करें जिसके द्वारा दिनांक 01–4–2004 से 50 प्रतिशत के बराबर मंहगाई भत्ते की धनराशि को मंहगाई वेतन के रूप में परिवर्तित किये जाने के आदेश निर्गत किये गये हैं ।

कतिपय क्षेत्रीय स्तर से उक्त के सम्बन्ध में वेतन प्राधिकार पत्र निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में जिज्ञासायें उठायी जा रही है। उक्त के सम्बन्ध में स्पष्ट करना है कि पूर्व में समय–समय पर कारपोरेशन द्वारा मंहगाई भत्ते की दरों में वृद्धि के आदेश निर्गत किये जाते रहे हैं तथा नियमानुसार मंहगाई भत्ते की दरों का आगणन करते हुये सम्बन्धित आहरण एवं वितरण अधिकारी के स्तर से भुगतान आहरित किया जाता रहा है। पूर्व की भांति प्रश्नगत आदेश के सापेक्ष अलग से प्राधिकार पत्र के निर्गमन की आवश्यकता नहीं है।

इस सम्बन्ध में यह स्पष्ट किया जाता है कि दिनांक 01-04–2004 एवं तदुपरान्त प्राधिकृत/देय मूल वेतन का 50 प्रतिशत के बराबर महँगाई भत्ता "महँगाई वेतन" के रूप में देय होगा अर्थात वार्षिक वेतन वृद्धि, प्रोन्नति / अवनति तथा समयबद्ध वेतनमान के फलस्वरूप मूल वेतन परिवर्तित होने पर तद्नुसार दिनांक 01.4.2004 एवं अग्रेतर "मंहगाई वेतन" की धनराशि तत्समय प्रभावी मूल वेतन का 50 प्रतिशत देय होगी।

इसी प्रकार मंहगाई भत्ता "मूल वेतन" तथा "मंहगाई वेतन" के योग पर निम्नलिखित दरों पर देय होगा :–

क्र0 सं0	अवधि	महँगाई भत्ते की दर (महँगाई वेतन घटाने के पूर्व)	महँगाई वेतन की दर	देय महँगाई भत्ते की दर (मूल वेतन एवं महँगाई वेतन के योग पर)
1	2	3	4	5 (3–4)
I-	01–4–2004 से 30–6–2004 तक	61%	50%	11%
II-	01–7–2004 से 31–12–2004 तक	64%	50%	14%
III-	01–1–2005 से आगामी पुनरीक्षण तक	67%	50%	17%

इसी परिपेक्ष्य में प्रश्नगत आदेश के सम्बन्ध में दिनांक 01–4–2004 से देय अवशेष तथा उसके पश्चात देयों का भुगतान नियमानुसार आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा उपर्युक्त सन्दर्भित आदेश

क्रमशः.......2/–

दिनांक 27-2-2006 में निहित प्रकिया अनुसार किया जायेगा। अर्थात अवशेषों का भुगतान सम्बन्धित वित्तीय वर्षों में देय आयकर एवं सरचार्ज के कटौती के उपरान्त ही सामान्य भविष्य निधि/अँशदायी भविष्य निधि खाते में जमा की जाएगी। अँशदायी भविष्य निधि के मामले में जमा की जाने वाली अवशेष की धनराशि "कर्मचारी अँशदान" के रूप में अँशदायी भविष्य निधि खाते में अभिलेखित होगी"।

उक्त आदेश के फलस्वरूप दिनॉक 01.3.2006 से सामान्य भविष्य निधि मद में "मूल वेतन" एवं "मंहगाई-वेतन" के योग का 10 प्रतिशत अंशदान की कटौती न्यूनतम आवश्यक अभिदान के रूप में अनिवार्यतः की जायेगी तथा अंशदायी भविष्य निधि योजना (सी0पी0एफ0) के मद में कर्मचारी अंशदान एवं नियोक्ता अंशदान की धनराशि "मूल वेतन" एवं "मंहगाई वेतन" पर निर्धारित दर (10 प्रतिशत की दर) से तदनुसार आकलित की जायेगी।

उपर्युक्तानुसार मूल वेतन के 50 (पचास) प्रतिशत के बराबर मंहगाई भत्ते को "मंहगाई वेतन" में परिवर्तित करने के फलस्वरूप देय धनराशि का नकद भुगतान माह मार्च 2006 के वेतन, जिसका भुगतान अप्रैल 2006 में होना है, से देय होगा एवं दिनांक 01 अप्रैल 2004 से 28 फरवरी 2006 तक देय अवशेष धनराशि का भुगतान दो बराबर किस्तों मे किया जायेगा जिसकी प्रथम किस्त वित्तीय वर्ष 2006-07 मे एवं द्वितीय किस्त वित्तीय वर्ष 2007-08 में देय होगी। (सपठित प्रस्तर 5 अ,ब,स एवं द आदेश संख्या-71 दि0 27-2-2006)

प्रश्नगत आदेश के सापेक्ष देय अवशेषों के आहरण हेतु पूर्व प्रचलित एवं वर्तमान में प्रभावी विदीक्षा की प्रकिया यथावत् लागू रहेगी।

कार्यालय ज्ञाप/आदेश संख्या-71वे0प्र0(30)/पाकालि/2006-8-वे0प्र0/2006 दिनांक 27-2-2006 में उल्लिखित अन्य शर्ते व व्यवस्थायें भी यथावत् लागू रहेगी।

उक्त कार्यालय ज्ञाप दिनांक 27-2-2006 के बिन्दु-2 के अनुपालन में वेतन बीजकों/सम्बन्धित पंजिकों में "मंहगाई वेतन" स्थायी कर्मचारियों के लिये लेखा शीर्ष-75.120 एवं अस्थायी कर्मचारियों के लिये लेखा शीर्ष-75.140 में दर्शाया जायेगा।

(सुधांशु द्विवेदी)
उप महाप्रबन्धक (लेखा प्रशासन)

संख्या-1584 /उमप्र-पंचम (राजपत्रित) तद्दिनांकित :

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- प्रबन्ध निदेशक, मध्यांचल/पूर्वान्चल/पश्चिमांचल/दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि0, लखनऊ/ वाराणसी/मेरठ/आगरा/ केस्को-कानपुर।

2- समस्त मुख्य महाप्रबन्धक/महाप्रबन्धक (वितरण)/(पारेषण एवं जानपद) उ0प्र0पा0का0लि0।

3- उप मुख्य लेखाधिकारी-(कारपोरेट लेखा) उ0प्र0पा0का0लि0, लखनऊ।

(सुधांशु द्विवेदी)
उप महाप्रबन्धक (लेखा प्रशासन)